

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक— 1470 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक— 9/10/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषय:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दुचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-


आपका पत्रांक 28181/4सी दिनांक 22.09.2018.

महोदय,

उक्त विषयगत प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्न कमिया पायी गयी हैं। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की पांच प्रतियां आपको इस आशय से लौटायी जा रही हैं कुपया निम्नानुसार कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. Authority Letter अपूर्ण है।
2. प्रपत्र 2, भाग—1 में लागत लाभ विश्लेषण में लागू न होना दर्शाया गया है जबकि उसे पूर्ण किया अपेक्षित है तथा प्रपत्र में दिनांक व स्थान रिक्त है। इसे भी पूर्ण कर लिया जाय।
3. प्रपत्र 5 की संशोधित प्रति इस कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रपत्र 23.2 में समिती की बैठक का दिनांक रिक्त है।
5. प्रपत्र 42 की संशोधित प्रति इस कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार, व्यास श्रेणी वार मय आयतन एंव मूल्य के निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूचि की गणना में भी भिन्नता है। मौके पर वन क्षेत्राधिकारी गौला के साथ आपके अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारी के साथ सूचि से पुनः मिलान कर लिया जाय ताकि निर्धारित प्रारूप में वास्तविक सूचना प्राप्त हो सके। अतः समरेखण के साथ उक्त की पुनः पुष्टि कर ली जाय।

अतः प्रस्ताव इस कार्यालय से प्राप्त कर परिक्षण कर लिया जाय तथा उक्त कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाय।


प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

प्रतिलिपि:- उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला एंव वन क्षेत्राधिकारी गौला को सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त चिन्हित समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक स्थिति उपरोक्तानुसार लो०नि०वि० के साथ जांच कर लिया जाय तथा निर्धारित प्रारूप में उक्त सूचना लो०नि०वि० को उपलब्ध करायी जाय।


प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।